

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

क्रमांक 3084/ब-4/वित्त/2026, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/03/2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-2026 में समस्त आहरण अधिकारियों द्वारा चैक बुक कोषालयों में जमा विषयक।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 318/ब-1/चार/2002, दिनांक 26.02.2002 (वित्त निर्देश-10/2002)


—00—

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 25 मार्च, 2026 को संध्या 5.00 बजे समस्त चैक आहरण अधिकारी, अपने चेकबुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे तथा उपयोग किए गए/निरंक चेक का स्पष्ट विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ देंगे।

2/ अत्यावश्यक परिस्थितियों में दिनांक 27 एवं 30 मार्च, 2026 तक कोषालय अधिकारी, संचालक बजट से उनके ई-मेल आईडी - dir-budget.cg@gov.in के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेकबुक उपलब्ध करायेंगे, जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे।

3/ वित्तीय वर्ष के लेन-देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की प्राप्ति अभिस्वीकृति लेकर चेकबुक वापस किया जा सकेगा।

4/ जारी किये गए समस्त चेकों का भुगतान 30 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित किया जाए।



(चंदन कुमार)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के सचिव, लोकभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़
6. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री /राज्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय
10. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय
11. विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
12. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय
13. समस्त अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय
14. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख, मंत्रालय
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय
16. संचालक, कोष एवं लेखा, इन्द्रावती भवन
17. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर अंबिकापुर एवं दुर्ग।
18. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय, को वित्त विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।



अवर सचिव
वित्त विभाग